GCMS-2024/113

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुरली उर्फ मुरलीधर बनाम बन्शी

मुकदमा नम्बर :– 13/2024

प्रा. पत्र 151

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10/6/24	वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र 151 का पेश हुआ। रिपोर्ट दी कि हेतु प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को तलबी की जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 24/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	24/6/24	वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली बरन्तजार तलबी में रखकर आगामी दिनांक 08/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	08/7/24	व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उप० होकर पूर्व में जवाब किया जा चुका हेतु नकल दिलायी गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों व अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रा.पत्र व जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र 151 CPC बदरीशनामा किये जाने की अनुमति दिये जाने का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुरली उर्फ मुरलीधर बनाम नन्दा

मुकदमा नम्बर :– 13 /2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 1/6/2016 से अपने हिस्से की भूमि का बख्शीशनामा लिखवाने की हद तक छूट प्रदान की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. कि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी:—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :—13/2024

मुरली उर्फ मुरलीधर बनाम नन्दा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अपने हिस्से की भूमि का बक्शीशनामा किये जाने की अनुमति दिये जाने बाबत

आदेश

दिनांक:—08.07.2024

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मिन प्रार्थी/प्रतिवादी व अप्रार्थी/वादी व अन्य खातेदारान की शामलाती भूमि खसरा नं0 602/1067, 603, 604, 605/1070, 607, 608, 613/1072, 615/1074, 616, 617, 618, 619/1077 कुल किता 12 का कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसके संबंध में अप्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 26.06.2014 को एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र सं0 47/2014 मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 45/2014 श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये थे, जो टी0आई0 दिनांक 10.06.2016 को कैम्प कोर्ट गुडलिया में ता फैसला वाद कन्फर्म कर दी गई तथा दिनांक 10.06.2016 को ही उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर कब्जे, रहवास व रास्ते की प्राथमिकता देते हुए विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात पेश करने के आदेश दिये गये थे जो आज तक न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश नहीं किये गये। प्रार्थी/प्रतिवादी का उक्त विवादग्रस्त भूमि में 7/36 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है तथा उक्त वाद केवल तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमें किसी भी पक्षकार के हितों व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही किसी पक्षकार के हिस्से की घोषणा है। प्रार्थी/प्रतिवादी एक वृद्ध व्यक्ति है जो काफी लम्बे समय से बीमार है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी नाऔलाद व्यक्ति है तथा अपने भतीजे कानाराम पुत्र हुनमान को अपने पास दत्तक पुत्र बनाकर रख रहा है, जो प्रार्थी/प्रतिवादी की सेवा सुश्रुषा व देखभाल कर रहा है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी अपने जीवनकाल में ही अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के संबंध में भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अपने दत्तक पुत्र कानाराम पुत्र हनुमान दत्तक पुत्र मुरलीधर के हक में करना चाहता है जिस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उपपंजीयक कार्यालय

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

में सम्पर्क किया गया तो उपपंजीयन कार्यालय द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि उक्त खसरा नम्बरान पर स्थगन आदेश है इसलिए न्यायालय की अनुमति लाने पर ही उक्त बक्शीशनामा रजिस्टर्ड किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में इससे संबंधित कोई विवाद पक्षकारों के मध्य नहीं है केवल मात्र तकासमे का वाद ही लम्बित है तथा प्रार्थी काफी लम्बे समय से बीमार है इस कारण अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की सम्पत्ति का विवाद ना हो इसलिए अपनी इच्छा से बक्शीश करना चाहता है इसलिए प्रार्थी को अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बक्शीशनामा पंजीयन कराने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है। प्रार्थी को अनुमति नहीं दी गई तो प्रार्थी की सम्पत्ति बाबत कई विवाद व पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी तथा उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की खरीदशुदा सम्पत्ति है तथा प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति की निर्विवाद रुप से व्यवस्था करें, व उसको बक्शीश करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि उक्त बक्शीशनामा करने की अनुमति प्रार्थी को नहीं दी गई तो प्रार्थी/प्रतिवादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी तथा उक्त सम्पत्ति बाबत वाद बहुलता बढ़ेगी।

अतः मिन प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को भूमि खसरा नं0 602/1067, 603, 604, 605/1070, 607, 608, 613/1072, 615/1074, 616, 617, 618, 619/1077 कुल किता 12 का कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में अपने हिस्से 7/36 भाग की भूमि का बक्शीशनामा अपने दत्तक पुत्र कानाराम पुत्र हनुमान दत्तक पुत्र मुरलीधर के हक में पंजीयन करवाने की अनुमति प्रदान करवाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने ऐसा कोई गोदनामा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश नहीं कर रखा है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने कानाराम को अपना दत्तक पुत्र बना रखा हो। उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नन्दा बनाम फूलाराम वगै0 न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 10.06.2016 को टी0आई0 कन्फर्म कर ता फैसला वाद विवादग्रस्त भूमियों के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश प्रदान किये गये हैं। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड बक्शीशनामे की इजाजत प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है। यदि विवाद नहीं होता तो अप्रार्थी/वादी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद क्यों लाना पड़ता। प्रार्थी/प्रतिवादी यदि अपनी सम्पत्ति दत्तक पुत्र को देना चाहता है तो वह गोदनामा करवा सकता है। बक्शीशनामा करवाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी/प्रतिवादी बक्शीशनामा करवाकर वाद बहुलता बढ़वाना चाहता है व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाना चाहता है। यदि

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर

प्रार्थी/प्रतिवादी को बक्शीशनामा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो न्यायालय श्रीमान के आदेश की अवहेलना होगी तथा बक्शीशनामा करवाना आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। मूल वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 8 द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2016 में विवादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की भूमि का बक्शीशनामा अपने दत्तक पुत्र के नाम रजिस्टर्ड किये जाने की हद तक छूट चाही गई है। चूंकि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 लम्बे समय से बीमार चल रहा है। यदि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 को विवादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की भूमि का बक्शीशनामा अपने दत्तक पुत्र के नाम रजिस्टर्ड किये जाने की छूट प्रदान नहीं की गई तो प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 की मृत्यु के पश्चात् विवादग्रस्त आराजी के संबंध में कई विवाद व पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी तथा वाद बहुलता बढ़ने का भी अंदेशा है। न्यायालय अभिमत में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2016 में प्रार्थी को भूमि खसरा नं0 602/1067, 603, 604, 605/1070, 607, 608, 613/1072, 615/1074, 616, 617, 618, 619/1077 कुल किता 12 का कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में अपने हिस्से 7/36 भाग की भूमि का बक्शीशनामा अपने दत्तक पुत्र कानाराम पुत्र हनुमान दत्तक पुत्र मुरलीधर के हक में पंजीयन करवाने की हद तक छूट प्रदान की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं